न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या – 25 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
झीमोदेवी पुत्री हरखाराम पत्नि अमेदाराम जाति जाट निवा इन्द्राणियों का तला, कानोड तहसील	1. राजोदेवी पत्नि हरखाराम उम्र 79 वर्ष जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 2. दरजुदेवी पत्नि आदूराम उम्र 57 वर्ष पिपराला तहसील सिणधरी 3. पेमाराम पुत्र खेताराम उम्र 19 वर्ष 4. धापूदेवी पत्नि रावताराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 5. खेताराम पुत्र वागाराम 6. वाली पत्नि वागाराम 7. गंगाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 8. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 9. तहसीलदार सिणधरी 10. रावताराम पुत्र वागाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 सें 8 व 10 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 9 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 30.01.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है [illegible] वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। [illegible] सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीनी वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते [illegible] अभिकथन किया कि प्रार्थिया एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा 5 से 7 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि मौजा एड अमरसिंह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर कुल रकबा 24.0435 हेक्टयर के आये हुए है। जो भूमि प्रार्थीनी व

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने पिता व पति हरखाराम से पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व पति हरखाराम के 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त की थी तथा इसी अनुसार पर्चा लगान जारी हुआ था। हरखाराम के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 71 विप्रार्थी संख्या 1 राजोंदेवी पत्नि हरखाराम अकेली के नाम पारित किया गया, जबकि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 2 भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हरखाराम की जायंदा पुत्री व विधिक वारिश होने के कारण प्रार्थीनी को पिता हरखाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनी ग्रामीण महिला व अनपढ होने के कारण इनकी माता विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनी को अपने पिता की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनी हरखाराम की विधिक जायन्दा पुत्री होने के कारण हरखाराम की खातेदारी की भूमि में अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त व सामलाती रूप से 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त था तथा प्रार्थीनी स्व. हरखाराम की जायदा पुत्री व विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि मे हरखाराम के 1/3 हिस्से की पैतृक भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/9 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का था तथा इसी अनुसार प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु प्रार्थीनी की माता विप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में अपने विधिक 1/9 हिस्से से अधिक हिस्से का अर्थात प्रार्थीनी के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 4 धापूदेवी को खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर में से 1.2944 हेक्टयर (08 बीघा) का बेचान दिनांक 27.01.2023 को एवं विप्रार्थी संख्या 2 वरजूदेवी को खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर में से 2.5888 हेक्टयर (16 बीघा) का दान जरिये दान पत्र दिनांक 27.01.2023 को तथा विप्रार्थी संख्या 3 पेमाराम को खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर में से 1.9416 हेक्टयर (12 बीघा) का बेचान दिनांक 27.01.2023 को कर दिया है। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 1 ने कुल 36 बीघा भूमि का बेचान व दान विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को दिनांक 27.01.2023 को कर दिया है। जबकि विप्रार्थी संख्या 1 का विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा से रकबा 16.09 बीघा भूमि ही खातेदारी का था तथा अपने हिस्से तक ही बेचान व दान करने का अधिकारी थी परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से के साथ ही प्रार्थीनी के हिस्से का बेचान कर दिया है, जो बेचान प्रार्थीनी के 1/9 हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थीनी के विरूद्ध बेअसर है, क्योंकि प्रार्थीनी स्व. हरखाराम की जायदा पुत्र है जो प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि में अपने पिता की मृत्यु के समय के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया है इसलिये उक्त बेचान प्रार्थीनी के 1/9 हिस्से तक प्रारम्भ से शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थीनी स्व. हरखाराम की जायदा [illegible] व विधिक उतराधिकारी है तथा प्रार्थीनी स्व. हरखाराम की पैतृक सम्पति में विप्रार्थी [illegible] तथा प्रार्थीनी का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 स्व. हरखाराम के विधिक वारिशान है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से में रहवासी ढाणिया आदि बने हुऐ तथा प्रार्थीनी का अपने हिस्से पर लगातार निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सख्या 1 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीनी का स्व. हरखाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण में विप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से मिलावट कर प्रार्थीनी का नाम अंकित नहीं करवाया गया तथा विप्रार्थी संख्या 1 ने अपना नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने विधिक हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अजनबी क्रेता विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को बेचान व दान कर दिया है तथा अब विप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने तथा ओर भूमि का आगे बेचान करने की धमकियां दी जा रही है। इसलिये प्रार्थीनी को यह अधिकार है कि प्रार्थीनी स्वयं को वादग्रस्त भूमि जो पैतृक खातेदारी की होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी का कब्जा काश्त होने व स्व. हरखाराम की विधिक व वैध वारिश होने से विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को किये गये बेचान को प्रार्थीनी के हक हिस्से तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करते हुऐ प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। कि वर्तमान में जमीनों की कीमतों उतरोतर वृद्धि होने के कारण तथा प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 लगातार प्रार्थीनी के कब्जे काश्त मे दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीनी को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकियां दे रहा है जबकि प्रार्थीनी का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा की भूमि हक व पैतृक खातेदारी की होने तथा स्व. हरखाराम की विधिक वारिशान होने से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व हिस्से में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रार्थीनी के माता पर अनुचित दबाव बनाकर पूरा के हिस्से से अधिक भूमि का हस्तातरण अपने नाम करवा लिया तथा अब प्रार्थीनी को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीनी के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी करते रहते है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है परन्तु राजस्व रेकर्ड की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर विप्रार्थी संख्या 1 से 4 आराजी का हस्तातंरण अन्यत्र करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीनी को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीनी के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीनीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में जब समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में होने से विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा एड अमरसिंह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा नम्बर 163 रकबा 24. 0192 हेक्टयर कुल रकबा 24.0435 हेक्टयर में प्रार्थीनी के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही किसी प्रकार बेचान, हस्तातंरण करें तथा वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी मौजा एड अमरसिंह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा नम्बर 163 रकबा 24. 0192 हेक्टयर कुल रकबा 24.0435 हेक्टयर भूमि प्रार्थिया एवं विप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता–पति हरखाराम के 1/3 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने एवं जिस कारण उक्त भूमि का पर्चा लगान स्व. हरखाराम के नाम से जारी हुआ तथा हरखाराम की फौतगी पर अकेली विप्रार्थी सं. 1 के नाम से ना.क.स. भरा गया। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
सिणधरी

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी के पिता का 1/3 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारों का हो। कि प्रार्थीनीगण के कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि प्रार्थिनी के पिता की थी। जंहा तक प्रार्थीनी की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्वोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा एड अमरसिंह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा नम्बर 163 रकबा 24.0192 हेक्टयर कुल रकबा 24.0435 हेक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:27 IST
Reason: SelfAttested